रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052025-263440 CG-DL-E-28052025-263440

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301]

No. 301]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2025/ज्येष्ठ 7, 1947 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2025/JYAISHTHA 7, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2025

सा.का.िन. 344(अ).—केंद्र सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 15 नवंबर, 2023 की अधिसूचना सा. का. नि. संख्या 839(असा.) के अधिक्रमण में, एतद्वारा महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 (1) (ग) (i) के अंतर्गत डॉ. ए. कौसिगन, भा.प्र.से., विशेष सचिव, पत्तन विभाग, केरल सरकार को श्री के. एस. श्रीनिवास, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, पत्तन विभाग, केरल सरकार के स्थान पर कोचिन पत्तन प्राधिकरण बोर्ड में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम-पार्ट(2)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

3467 GI/2025 (1)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2025

G.S.R. 344(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) G.S.R. No. 839 (E) dated 15th November, 2023, the Central Government hereby appoints Dr. A. Kowsigan, IAS, Special Secretary, Ports Department, Government of Kerala, in place of Shri K.S. Srinivas, IAS, Principal Secretary, Ports Department, Government of Kerala, as a representative of State Government on the Board of Cochin Port Authority under section 3(1)(c)(i) of Major Port Authorities Act, 2021 with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour-Part (2)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.